न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :– गुंजन सिंह, आई.ए.एस.

मूल प्र.सं. : 93/2021
सीएमएस : 2021/201

1. कर्मजीत कौर पुत्र प्रकाश सिंह पत्नी सुखासिंह जाति मजहबी निवासी वार्ड नं. 4 तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर

–:वादी

बनाम

1. रणजीत सिंह पुत्र प्रकाश सिंह जाति मजहबी निवासी 6 टीके तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
2. अमनदीप कौर पुत्री प्रकाश सिंह जाति मजहबी निवासी 6 टीके तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
3. सुखविन्द्र कौर पुत्री प्रकाश सिंह जाति मजहबी निवासी 6 टीके तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
4. बलजिन्द्र कौर पुत्री प्रकाश सिंह जाति मजहबी निवासी 6 टीके तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
5. बलवीर सिंह पुत्र प्रकाश सिंह जाति मजहबी निवासी 6 टीके तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर

–:प्रतिवादीगण

अन्तर्गत धारा 88,188,209 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :–
1. श्री अवतार सिंह बराड़, अधिवक्ता वादी
2. श्री छविन्द्र सिंह, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 से 5
3. राजपैरोकार

–: निर्णय :–

दिनांक : 29.11.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि –

1. वादीया वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि वादीया व प्रतिवादी सं. 1 से 5 के पिता स्वर्गीय प्रकाश सिंह के नाम से चक 6 टीके मु.नं. 6 प.नं. 179/292 कि.नं. 18 ता 25 के 1.974है. नहरी भूमि में 1/7 भाग एवं चक 7 टीके तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 50 प.नं. 181/300 का कि.नं. 1 ता 15 की 3.669है. बारानी भूमि में 175/1223 हिस्सा की भूमि खातेदारी थी। वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के पिता प्रकाश सिंह एवं माता छिन्द्र कौर की मृत्यु हो चुकी हैं। मृतक प्रकाश पुत्र निरंजन सिंह एवं छिन्द्रपाल कौर पत्नी प्रकाश सिंह जातियान मजहबी निवासी 6 टीके की मृत्यु के पश्चात वादीया एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 उनके विधिक उत्तराधिकारी है, वादीया एवं प्रतिवादीगण 1 ता 5 के अलावा कोई उत्तराधिकारी नहीं हैं। कृषि भूमि का विरास्तन इंतकाल दर्ज करवाने के वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 विधिक अधिकारी हैं। वादीया द्वारा प्रतिवादी सं. 6 को वादग्रस्त भूमि का वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के नाम मृतक प्रकाश सिंह की भूमि का विरास्तन इंतकाल दर्ज करने का निवेदन किया तो उनके द्वारा न्यायालय का आदेश लाने को कहा। विरास्तन इंतकाल दर्ज नहीं होता हैं तो पक्षकारों के विधिक अधिकारो का हनन होगा अपने अधिकारों की सुर[illegible] न्यायालय की शरण में आना पड रहा हैं। वाद पत्र स्वीकार कर चक 6 टीके मु.नं. 6 प.नं. 179 [illegible] 18 ता 25 के 1.974है. नहरी भूमि में 1/7 भाग एवं च[illegible] 7 टीके तहसील रायसि[illegible]र के मु.नं. 50 प.नं. 181/300 का कि.नं. 1 ता 15 [illegible] 1223 हिस्सा भूमि प्रकाश सिंह व उनकी पत्नी की मृत्यु [illegible]वादीगण सं. 1 ता 5 की बहिस्सा बराबर 1/6 हिस्सा विरास्तन खातेदारी भूमि है [illegible] घोषणा करने एवं घोषणा अनुसार रिकार्ड में अंकन दर्ज करने के आदेश प्रतिवादी सं. 6 के नाम जारी करने हेतु निवेदन किया।
2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 से 5 जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद की सभी मदों को स्वीकार करते हुए निवेदन किया कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Gunjan Singh
Date: 2022.12.21 17:38:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

वाद वादीया स्वीकार कर रकबा का विरासतन इंतकाल दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

3 प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से वाद की सभी मदों को स्वीकार कर लेने एवं किसी प्रकार का विरोध नहीं करने के कारण तनकीयात कायम नहीं की गयी। वकील उभयपक्ष द्वारा निवेदन करने पर सीधे बहस सुनी गयी। प्रकरण में सभी पक्षकार स्वयं उपस्थित होकर वाद पत्र वादीया डिक्री फरमाने हेतु निवेदन किया। वकील उभयपक्ष भी अपनी बहस में निवेदन किया कि उभयपक्ष की प्रकरण में सहमति हैं, तथा सभी पक्षकारान द्वारा यह स्वीकार किया गया हैं कि वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1 से 5 के अतिरिक्त प्रकाश सिंह का अन्य कोई उत्तराधिकारी नहीं हैं। इसलिए वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 5 के विवादित भूमि पर प्रत्येक 1/6–1/6 हिस्सा की घोषणा करने हेतु निवेदन किया।

4 हमने वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। जमाबंदी चक 7 टीके खाता सं. 58 में दर्ज मु.नं. 50 के कि.न. 1/2 से 15 की कुल 3.669है. बारानी भूमि में से प्रकाश सिंह पुत्र निरंजन सिंह के नाम से हि. 175/1223 दर्ज रिकार्ड हैं एवं चक 6 टीके के खाता सं. 61 में दर्ज 6 के कि.नं.18 ता 25 की कुल 1.974है. नहरी भूमि में से प्रकाश सिंह पुत्र निरंजन सिंह के नाम से हि. 1/7 दर्ज रिकार्ड हैं। प्रकरण में वादीया की ओर से वार्ड पंच वार्ड नं. 6 ग्राम पंचायत 10 टीके के द्वारा जारी किया हुआ सदस्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया हैं। वादी द्वारा वाद पत्र में निवेदन किया गया हैं कि प्रतिवादी सं. 6 द्वारा प्रकाश सिंह की मृत्यु के पश्चात विरास्तन नामान्तरकरण दर्ज नहीं किया। जबकि प्रकाश सिंह के वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 5 ही विधिक उत्तराधिकारी हैं। प्रतिवादीगण द्वारा भी इस पर सहमति जताई हैं एवं विरास्तन नामान्तरण दर्ज करने के आदेश दिये जाने हेतु निवेदन किया हैं। ऐसी स्थिति में चूंकि उभयपक्ष ने यह स्वीकार कर लिया हैं कि वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1 से 5 ही मृतक प्रकाश सिंह में उत्तराधिकारी हैं, अन्य कोई उत्तराधिकारी नहीं हैं, न्यायालय की मत में प्रकरण खातेदारी अधिकारों की घोषणा का न होकर विरास्तन नामान्तरकरण दर्ज करने से संबंधित हैं।

–: क्रियान्वयन आदेश :–

लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर वाद पत्र वादीगण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता हैं और प्रतिवादी सं. 6 तहसीलदार रायसिंहनगर को निर्देशित किया जाता हैं कि वे विवादित भूमि चक 7 टीके खाता सं. 58 में दर्ज मु.नं. 50 के कि.न. 1/2 से 15 की कुल 3.669है. बारानी भूमि में से प्रकाश सिंह पुत्र निरंजन सिंह के नाम से दर्ज हिस्सा 175/1223 एवं चक 6 टीके के खाता सं. 61 में दर्ज 6 के कि.नं. 18 ता 25 की कुल 1.974है. नहरी भूमि में से प्रकाश सिंह पुत्र निरंजन सिंह के नाम से दर्ज हिस्सा 1/7 का वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1 से 5 के नाम से विरास्तन नामान्तरकरण दर्ज करने की कार्यवाही 15 दिवस में पूर्ण करें।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 29.11.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Gunjan Singh
Date: 2022.12.21 17:38:01 IST
Reason: SelfAttested

(गुंजन सिंह)
आई ए एस
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7 सीपीसी)
परिशिष्ट घ संख्यांक–1
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रायसिंहनगर
पीठासीन अधिकारी : गुंजन सिंह आई.ए.एस

मैनुअल प्र.सं. : 93/2021
जीसीएमएस : 2021/201

1. कर्मजीत कौर पुत्र प्रकाश सिंह पत्नी सुखासिंह जाति मजहबी निवासी वार्ड नं. 4 तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर

–: वादी

बनाम

1. रणजीत सिंह पुत्र प्रकाश सिंह जाति मजहबी निवासी 6 टीके तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
2. अमनदीप कौर पुत्री प्रकाश सिंह जाति मजहबी निवासी 6 टीके तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
3. सुखविन्द्र कौर पुत्री प्रकाश सिंह जाति मजहबी निवासी 6 टीके तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
4. बलजिन्द्र कौर पुत्री प्रकाश सिंह जाति मजहबी निवासी 6 टीके तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
5. बलवीर सिंह पुत्र प्रकाश सिंह जाति मजहबी निवासी 6 टीके तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर

–: प्रतिवादीगण

अन्तर्गत धारा 88,188,209 आर.टी.एक्ट

–: निर्णय :–

दिनांकः–29.11.2022

वाद के आज श्री अवतार सिंह बराड़ अधिवक्ता वादी, श्री छविन्द्र सिंह अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 से5 की उपस्थिति में अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती हैं कि – "वाद पत्र वादीगण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता हैं और प्रतिवादी सं. 6 तहसीलदार रायसिंहनगर को निर्देशित किया जाता हैं कि वे विवादित भूमि चक 7 टीके खाता सं. 58 में दर्ज मु.नं. 50 के कि.न. 1/2 से 15 की कुल 3.669है. बारानी भूमि में से प्रकाश सिंह पुत्र निरंजन सिंह के नाम से दर्ज हिस्सा 175/1223 एवं चक 6 टीके के खाता सं. 61 में दर्ज 6 के कि.नं. 18 ता 25 की कुल 1.974है. नहरी भूमि में से प्रकाश सिंह पुत्र निरंजन सिंह के नाम से दर्ज हिस्सा 1/7 का वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1 से 5 के नाम से विरास्तन नामान्तरकरण दर्ज करने की कार्यवाही 15 दिवस में पूर्ण करें।"

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

डिक्री आज दिनांक 29.11.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(गुंजन सिंह)
आई.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3. प्लीडर की फीस	
4. ....रूपये पर प्लीडर की फीस		4. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		5. आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		6. कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
जोड़		जोड़	

Signature Not Verified
Digitally signed by Gunjan Singh
Date: 2022.12.21 17:38:01 IST
Reason: SelfAttested